

नैक (NAAC) द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त



शिक्षार्थी मार्गदर्शिका 2026



दूर शिक्षा निदेशालय
महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

कार्यक्रम : स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर डिप्लोमा, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र



श्रीमती द्रौपदी मुर्मू
मा. कुलाध्यक्ष एवं भारत की राष्ट्रपति



प्रो. कुमुद शर्मा
कुलपति



प्रो. शंभू जोशी
निदेशक

अकादमिक सदस्य

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	प्रो. शंभू जोशी	प्रोफेसर एवं निदेशक
2	प्रो. अमित राय*	प्रोफेसर
3	प्रो. आनन्द पाटील	प्रोफेसर
4	डॉ. अमरेन्द्र कुमार शर्मा	एसोशिएट प्रोफेसर
5	डॉ. प्रियंका मिश्र	एसोशिएट प्रोफेसर

*क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता में पदस्थ

प्रशासनिक सदस्य

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1	डॉ. एम.एम. मंगोड़ी	क्षेत्रीय निदेशक

अनुक्रम

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ
1	कुलपति का संदेश	4
2	निदेशक का संदेश	5
3	निदेशालय का परिचय	17-18
4	अकादमिक कैलेंडर	19-20
5	कार्यक्रमों का विवरण	21
6	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA)	22-24
7	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में पीजी डिप्लोमा (PGDEM&FP)	24-25
8	पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा (PGDJMC)	25
9	कंप्यूटर एप्लिकेशन में पीजी डिप्लोमा (PGDCA)	25-26
10	सृजनात्मक लेखन में पीजी डिप्लोमा (PGDCW)	26
11	अनुवाद में पीजी डिप्लोमा (PGDT)	26-27
12	नाटक और रंगमंच में पीजी डिप्लोमा (PGDD&T)	27
13	मीडिया लेखन में पीजी डिप्लोमा (PGDMW)	27-28
14	कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा (DCA)	28
15	सामाजिक नेतृत्व एवं प्रशासन में सर्टिफिकेट (CSL&G)	28-29
16	चीनी भाषा में सर्टिफिकेट (CCL)	29
17	फ्रेंच भाषा में सर्टिफिकेट (CFL)	29
18	जापानी भाषा में सर्टिफिकेट (CJL)	30
19	स्पेनिश भाषा में सर्टिफिकेट (CSL)	30
20	गैर सरकारी संस्थाओं के निर्माण एवं प्रबंधन में सर्टिफिकेट (CNGOM)	30
21	शुल्क सारिणी	31
22	महत्वपूर्ण निर्देश	31-36
23	संयोजक/परामर्शदाताओं की सूची	37



प्रिय शिक्षार्थियों,

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय में आपका हार्दिक स्वागत है।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा की स्थापना हिंदी को केंद्र में रख कर विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का सृजन करने और समर्थ युवा पीढ़ी के निर्माण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान के रूप में की गयी है। हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाना हमारे दूर शिक्षा निदेशालय का उद्देश्य है।

रोजगार और वैश्विक परिदृश्य में हो रहे निरंतर परिवर्तनों को केंद्र में रखते हुए भारत को एक विकसित देश बनाने तथा विश्व की तीन सबसे बड़ी एवं अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करे। उच्चस्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास व संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। यह तभी संभव है, जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति उच्च शिक्षा ग्रहण करे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में दूर शिक्षा और ऑनलाइन शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि तकनीक के अधिकतम उपयोग द्वारा दूरस्थ माध्यमों से 'सबको शिक्षा और श्रेष्ठ शिक्षा' का लक्ष्य सहजता से प्राप्त होगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दूर शिक्षा निदेशालय की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा निदेशालय आस-पास के शिक्षार्थियों से लेकर दूर-दराज के शिक्षार्थियों के लिए गुणवत्तापरक उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इसी संकल्पना तथा निरंतर परिवर्तनशील वैश्विक परिदृश्य को केंद्र में रखते हुए निदेशालय ने व्यवसाय प्रशासन, समाज कार्य, पत्रकारिता, हिंदी, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर तथा कला, शिक्षा, पत्रकारिता में स्नातक कार्यक्रमों के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं फिल्म प्रोडक्शन, कंप्यूटर, पत्रकारिता, अनुवाद, सृजनात्मक लेखन, नाटक एवं रंगमंच, मीडिया लेखन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा / तथा चीनी, फ्रेंच, जापानी, एवं स्पेनिश विदेशी भाषाओं में तथा NGO प्रबंधन में प्रमाणपत्र कार्यक्रम प्रारंभ किये हैं। ये कार्यक्रम उच्च शिक्षा को जन-जन के द्वार तक पहुँचाने और शिक्षा की आवश्यकता को पूर्ण करने में सार्थक होंगे।

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को निरंतर लोकप्रियता प्राप्त हो रही है। मुझे विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय आपके सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास करते हुए एक योग्य, सक्षम एवं संवेदनशील नागरिक बनने का अवसर देगा। विश्वविद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी आपकी इस उच्च शिक्षा यात्रा में हर स्तर पर सहयोग के लिए सदैव उपस्थित हैं।

हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

प्रो. कुमुद शर्मा
कुलपति



निदेशक का संदेश

प्रिय शिक्षार्थी,

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय देश के उन केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक है, जिनमें दोहरी पद्धति (नियमित एवं दूर शिक्षा माध्यम) से अध्ययन-अध्यापन किया जाता है। वर्ष 2007 से विश्वविद्यालय का दूर शिक्षा निदेशालय गुणवत्तापूर्ण एवं मूल्यपरक शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर रहा है। अपनी स्थापना से ही यह निदेशालय मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विषयों के अध्ययन-अध्यापन में अपनी पहचान बना चुका है। इसके समस्त कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो एवं संबंधित नियामक संस्थाओं से मान्यता प्राप्त हैं। हिंदी भाषा में संचालित कार्यक्रमों के माध्यम से निदेशालय विश्वविद्यालय के अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है।

वर्तमान समय में दूर शिक्षा की उपादेयता किसी से छिपी हुई नहीं है। उच्च शिक्षा से वंचित शिक्षार्थियों के लिए दूर शिक्षा एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है। इसके माध्यम से शिक्षार्थी न केवल शिक्षा से जुड़ता है अपितु रोजगारपरक कार्यक्रमों में सहभागिता से अपने भविष्य को भी उज्ज्वल बनाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में भी गुणवत्तापूर्ण समान अवसर प्रदान करने वाली और समावेशी शिक्षा की बात कही गयी है। इसी परिप्रेक्ष्य में शिक्षा की पहुँच, समता और समावेशन के लिए मुक्त और दूर शिक्षा (ओडीएल) माध्यम की महत्ता को स्वीकार किया गया है। सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि हेतु मुक्त एवं दूर शिक्षा की प्रासंगिकता स्वयंमेव प्रतिष्ठित है।

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा का दूर शिक्षा निदेशालय स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के कई कार्यक्रमों का संचालन करता है। निदेशालय के अकादमिक कार्यक्रमों को प्रवेश तथा अध्ययन-अध्यापन दृष्टि से शिक्षार्थी केंद्रित बनाया गया है। शिक्षार्थी पाठ्यसामग्री को बोधगम्य तथा अधिकाधिक उपयोगी पाएँगे। संचार प्रौद्योगिकी के वर्तमान दौर में उसके प्रयोग द्वारा पाठ्यसामग्री को सुलभ बनाने का प्रयास किया गया है। निदेशालय निरंतर प्रयासरत है कि उसके कार्यक्रमों के अध्ययन से शिक्षार्थियों के लिए भविष्य में व्यावसायिक दृष्टि से सफल होने के अधिक-से-अधिक अवसर उपलब्ध हों। इन कार्यक्रमों का एक उद्देश्य शिक्षार्थियों को सामाजिक स्तर पर जागरूक करते हुए आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ समाज की समस्याओं के निराकरण में सहयोग कर अपने राष्ट्रप्रेम के दायित्व निर्वहन में सक्षम बनाना भी है। इस यात्रा में हमारे शिक्षक और कर्मचारी आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर हैं।

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश के इच्छुक शिक्षार्थियों के प्रति मैं हार्दिक शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ।

(प्रो. शंभू जोशी)
निदेशक

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
DISTANCE EDUCATION BUREAU**

F.No. 1-6/2025(DEB-NER)

02nd, April, 2025

List of Higher Educational Institutions (HEIs) recognized to offer Open and Distance Learning (ODL) Programmes for Academic Year 2024-25, academic session beginning February, 2025

- (I) University Grants Commission had invited online applications from the eligible Higher Educational Institutions (HEIs) as per Regulation 3(A) and Regulation 3(B)(b) of UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and its amendments for recognition of Programmes under Open and Distance Learning (ODL) mode. On the basis of applications submitted by the HEI under UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and its amendments, list of HEIs recognized to offer Open and Distance Learning (ODL) Programmes for academic year 2024-25, academic session beginning February, 2025 is attached herewith.
- (II) As per the 578th Commission decision, Central or State or Private Universities don't require prior approval/recommendation/NOC from AICTE for offering of Undergraduate, Postgraduate and Postgraduate Diploma programmes falling under the discipline of Management, Computer Applications and Travel and Tourism. However, Deemed to be Universities are still required to seek prior approval/recommendation/ NOC of AICTE for offering of such programmes in ODL and/or Online mode.
- (III) Programmes under the ambit of Regulatory Authorities have been considered on the basis of NOC/ approval/ recommendation received from the respective Regulatory Authority. The HEI shall strictly abide by the conditions such as the number of seats, valid academic year, etc. mentioned in the relevant Regulatory Authority letter.
- (IV) The HEIs shall ensure the compliance of entry level qualification, mode of admission, duration of programme (minimum & maximum) and number of credits as per UGC Notification on Specification of Degrees 2014 and its amendments, UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and other instructions/notices issued by UGC and other statutory/ regulatory bodies from time to time.
- (V) The Higher Educational Institution shall scrupulously abide by all the terms and conditions as stipulated in the University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and its amendments and other instructions/notices issued by UGC and other statutory/regulatory bodies from time to time.

...contd/-

- (VI) The Higher Educational Institution shall also adhere to the policy of Territorial Jurisdiction and Learner Support Centers (LSC) as specified in Annexure III and VIII of University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and its amendments.
- (VII) **UGC decided that the last date of ODL/online student admission for the academic session February, 2025 and last date of submitting admission details to UGC shall be 31st March, 2025.**
- (VIII) The Higher Educational Institutions have submitted an affidavit to the effect that in case any information, documentary evidence submitted/produced by the Higher Educational Institution is found to be false or wrong at a later stage or in case there is any violation of University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 and its amendments by the HEI, the Higher Educational Institution shall be solely liable and responsible for any such contravention/violation and for any consequences thereof. In such events, the HEI may also be subject to the consequences stipulated under Regulation 7 of University Grants Commission (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 (including any amendments thereto).

Note: Additional list of HEIs entitled to offer ODL programmes under Category – I for academic year 2024-25, academic session beginning February, 2025 is already uploaded on UGC DEB web portal.



(Prof. Manish R. Joshi)
Secretary

...contd/-

S.No	STATE	HEI NAME & TYPE OF HEI	PERIOD OF RECOGNITION	NUMBER OF PROGRAMMES RECOGNISED	NAME OF PROGRAMMES
40.	MAHARASHTRA	MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRA HINDI VISHWAVIDYALAYA (CENTRAL UNIVERSITY)	Academic session beginning January (Revised as February-March 2021) to 2024-2025	5	1) BACHELOR OF JOURNALISM 2) BACHELOR OF ARTS (COMBINATION OF 3 SUBJECTS)-GENERAL (From UGC List) 3) MASTER OF ARTS(HINDI) 4) MASTER OF SOCIAL WORK 5) MASTER OF JOURNALISM
			2021-22, academic session beginning November, 2021 (revised from July, 2021) to 2025 -26 (up to January, 2026 only)	4	1) BACHELOR OF EDUCATION 2) MASTER OF ARTS (SOCIOLOGY) 3) MASTER OF ARTS (HISTORY) 4) MASTER OF ARTS (POLITICAL SCIENCE)
			2023-24, academic session beginning July, 2023) to 2027 -28 (upto January, 2028 only)	1	1) MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
41.	MAHARASHTRA	SMT NATHIBAI DAMODAR THACKERSEY WOMENS UNIVERSITY (STATE UNIVERSITY)	2021-22, academic session beginning November, 2021 (revised from July, 2021) to 2025 -26 (up to	16	1) BACHELOR OF ARTS (ECONOMICS) 2) BACHELOR OF ARTS (POLITICAL SCIENCE) 3) BACHELOR OF ARTS (SOCIOLOGY) 4) BACHELOR OF ARTS (MARATHI) 5) BACHELOR OF ARTS (HINDI) 6) BACHELOR OF ARTS (ENGLISH) 7) BACHELOR OF ARTS (HISTORY) 8) BACHELOR OF COMMERCE 9) MASTER OF ARTS (HINDI)

TO BE PUBLISHED IN GAZETTE OF INDIA PART III SECTION 4

ORDER

WHEREAS, in exercise of the powers conferred by sub-section(2) of Section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993(73 of 1993), and in supersession of the National Council for Teacher Education [Recognition Norms and Procedure] Regulations, 2009, the National Council for Teacher Education has notified the Regulations, 2014 on 1.12.2014.

2. **AND WHEREAS**, the institution Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha (Central University), Plot Number: 18, Village: Umari, Post Office: Manas Mandir, Tehsil/City/District: Wardha: 442001, Maharashtra has by affidavit consented to come under new Regulations and sought recognition for a basic unit of B.Ed. (ODL) which require additional facilities.

3. **AND WHEREAS**, it has been decided to permit the institution to have one basic unit of 50 students subject to the institution fulfilling following conditions namely,

- (i). The institution shall create additional facilities that include (a) additional built-up area, (b) additional infrastructure, (c) additional funds, (d) adhere to staff norms as per Regulations, 2014 and inform Regional Committees with required documents by October 31, 2015.
- (ii). The applicant-institution for additional unit will be required to submit the required documents such as land documents, Encumbrance Certificate (EC), Land Use Certificate(LUC) and the Building Plan(BP) in the specified Performa available on the website to the Regional Committee in proof of having provided additional facilities before October 31, 2015. Building Completion Certificate (BCC) may be given along with other documents if available; otherwise it can also be given to the Visiting team at the time of inspection.
- (iii). The Regional Committees shall arrange for verification of documents, inspection of these premises and check adherence to these conditions by 20 Feb, 2016. If it is found by the Regional Committee that the institution fails to comply with these requirements, the institutions shall not be permitted to admit students for the academic year 2016-2017.

4. **Now therefore**, in the light of the above and in terms of Section 14(3) (a) of NCTE Act and in accordance with the Regulations, 2014, the Western Regional Committee, NCTE hereby grants recognition to Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha (Central University), Plot Number: 18, Village: Umari, Post Office: Manas Mandir, Tehsil/City/District: Wardha: 442001, Maharashtra for conducting B.Ed. (ODL) programme of 2 years duration for an annual intake of 500 students for session 2015-2016 subject to the condition that one study centre shall enroll not more than 50 students in a given session subject to fulfilment of the conditions mentioned herein before 31.10.2015.

5. Further, only the following category of institutions shall qualify to become a Study Centre:-

- (a) Existing Teacher Education Institutions recognized by NCTE for offering the same programme in face-to-face mode and having all the requisite infrastructure and staff as per NCTE norms; institutions having offered the relevant teacher education course for at least last five years. Institutions declared as Study Centre for one course/programme by a University shall not be the Study Centres for any other programme of the same or any other University/Institution.

मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल-462002

Manas Bhawan, Shyamla Hills, Bhopal-462002

दूरभाष/ Phone: 0755-2739672, 2660915, 2660379, 2660372 फेक्स/ Fax: 0755-2660912

Email: wrcc@ncte-india.org Website : www.nctewrc.co.in

NCTE HQrs. Website : www.ncte-india.org

- 785
- (b) (i) The number of students allotted to a Study Centre shall not exceed one hundred (50 for the first year and 50 for the second year), (ii) The Study Centre shall provide to the distance learners (allocated to it) access to its library, laboratories and other physical facilities, (iii) The Headquarters or the Regional Centre of the ODL institution may also function as a Study Centre at least for one hundred (50 first year and 50 second year) students.
 - (c) Teacher educators/supervisors/academic counsellors engaged for various activities of the Study Centre shall be fully qualified as per the NCTE norms.
 - (d) All the functionaries associated with the activities of the Study Centres must be oriented by the open university/institution in the practice of the ODL system from time to time, but at least once in a year.
 - (e) The request for additional unit of intake in any programme shall be examined by the NCTE on the basis of availability of required facilities in respect of study centres and related support in the territorial jurisdiction of the institution. Laid down procedures shall be followed for seeking recognition for additional intake.
6. Further, the recognition is subject to fulfilment of other requirements as may be prescribed by other regulatory bodies like UGC, affiliating University/Body, the State Government etc. as applicable.
7. The institution shall submit to the Regional Committee a Self- Appraisal Report at the end of each academic year along with the statement of annual accounts duly audited by a Chartered Accountant.
8. The institution shall maintain & update its web-site as per provisions of NCTE Regulations and always display following as mandatory disclosure:-
- a) Sanctioned programmes along with annual intake in the institution:
 - b) Name of faculty and staff in full as mentioned in school certificate along with their qualifications, scale of pay and photograph.
 - c) Name of faculty members who left or joined during the last, quarter:
 - d) Names of Students admitted during the current session along with qualification, Percentage of marks in the qualifying examination and in the entrance test, if any, date of admission, etc.;
 - e) Fee charged from students;
 - f) Available infrastructural facilities;
 - g) Facilities added during the last quarter;
 - h) Number of books in the library, journals subscribed to and additions, if any, in the last quarter;
 - i) The affidavit with enclosure submitted along with application.
 - j) The institution shall be free to post additional relevant information. if it so desires.
 - k) Any false or incomplete information on website shall render the institution liable for withdrawal of recognition.
 - l) NCTE, New Delhi vide letter no. F.49-15/2013/NCTE/N&S dated 12th September, 2013 has granted relaxation to Central Universities under clause 12 of extent NCTE (Recognition Norms & Procedure) Regulation 2009 that the infrastructural requirements shall be fulfilled within a period of 3 years; provided adequate infrastructural arrangement is made on lease/rental basis as per stipulations of NCTE, before approval.

In case, at the end of 3 years all the criteria, as per the Rules and Regulations of the NCTE are not fulfilled, the Regional Committee would be at liberty to withdraw the recognition given to the respective Central Universities.

784

If the institution Contravenes any of the above conditions or the provision of the NCTE Act, Rules, Regulations and Orders made and issued there under, the institution will render itself liable to adverse action including withdrawal of recognition by the Regional Committee under the provisions of Section 17(1) of the NCTE Act.

By Order,

(Sunil Shrivastava)
Regional Director

The Manager,
Government of India Press,
Department of Publications (Gazette Section),
Civil Lines, New Delhi – 110054.

To:

The Principal,
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay,
Wardha (Central University),
Plot Number: 18, Village: Umari,
Post Office: Manas Mandir,
Tehsil/City/District: Wardha: 442001,
Maharashtra

Copy to:-

1. The Registrar, Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Street - Gandhi Hills, Village -Umari, P.O. Manas Mandir, Tah/City/Dist.- Wardha - 442001, Maharashtra.
2. The Education Secretary, (Higher Education), Govt. of Maharashtra, Mantralaya, Mumbai, Maharashtra.
3. The Secretary, Dept. of School Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, Shastri Bhavan, New Delhi – 110 001.
4. The US (Computer), National Council for Teacher Education, Hans Bhawan, Wing-II, 1, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110 002.
5. The Computer Programmer, Computer Section, WRO, (NCTE), Bhopal with a request to include the name of the institution in the recognized list uploaded in WRC website.
6. Office Order file/institution file APP1506.

(Sunil Shrivastava)
Regional Director
26/12

8/c

F.No.WRC/NCTE/APP1506/2026/B.Ed.(ODL)/9181

Date: 08/05/2026

Computer No: 47513

To,

The Registrar,
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha
(Central University)
Plot No.18, Village-Umari,
P.O- Manas Mandir,
Dt.- Wardha
Pin code- 442001
Maharashtra.

Sub:- Continuation/validity of Recognition for B.Ed.(Distance Education) ODL Program of Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha for the academic year 2026-2027- regarding.

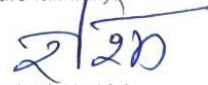
Sir,

Please refer to your e-mail dated 02.04.2026 on the above subject seeking continuation/validity of recognition status of Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha from the academic year 2015-16.

2. As per WRC office records, Revised recognition for B.Ed (ODL) course of two years duration with annual intake of 500 was granted to the Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha vide WRC Order no. APP1506/217th /B.Ed./2015-132207.132047-52 dated 28.02.2015 for the year 2015-16. NCTE does not grant recognition to a Teaching Education Institution for a specific period and the recognition continues till the same is being withdrawn. Therefore, the recognition granted to Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalay, Wardha for offering B.Ed. (ODL) course is continued by NCTE as on date, until further orders of WRC-NCTE.

3. It is further requested to forward such request in the month of December of every year along with details of centers and intake allotted for these centers with detail of students center-wise.

Yours faithfully,


(Rashmi Shukla)
Regional Director.

महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी
विश्वविद्यालय, वर्धा या विद्यापीठातील B.Ed.
(ODL) या पदवीस राज्यातील बी.एड.
पदवीशी समकक्षता प्रदान करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग
शासन निर्णय क्रमांक: बीएड-४६१६/प्र.क्र.१८२/मशि-२
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक,
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२
तारीख: ०७ एप्रिल, २०१८.

वाचा :-

- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र.समक-१०९९/१३४/मशि-४,
दिनांक १४ जून, १९९९.
- २) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, परिपत्रक क्र.एसएसएन-२००५/(१२/२००५)/मशि-२,
दिनांक ९ जून, २००५.
- ३) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र.आरजीडी-१५११/प्र.क्र.८९/२०११/१३,
दिनांक २३ ऑगस्ट, २०११.
- ४) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.एसएसएन-२०११/(२९/११)/मशि-२,
दिनांक २१ डिसेंबर, २०११.

प्रस्तावना :-

महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा हे विद्यापीठ संसदेने मंजुरी दिलेल्या “द महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अॅक्ट, १९९६ (१९९७ चा अधिनियम क्र.३)” अन्वये स्थापन झालेले विद्यापीठ आहे. या विद्यापीठास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, पश्चिम क्षेत्रिय समिती, भोपाळ यांनी त्यांचे आदेश क्र.F.No.APP1506/217th/B.Ed./2015/132047, दिनांक २८.२.२०१५ अन्वये बी.एड (ओडीएल) या अभ्यासक्रमास मान्यता दिलेली आहे.

संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये केंद्रीय किंवा राज्य विधी मंडळाने अधिनियमाद्वारे भारतातील विद्यापीठाने दिलेल्या पदव्या/पदविका आणि संसदेने अधिनियमाद्वारे शैक्षणिक संस्था स्थापित केल्या आहेत किंवा विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घोषित केलेल्या मानीव विद्यापीठानी प्रदान केलेल्या पदवी/पदविकांना समकक्ष दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ येथील शासन परिपत्रकान्वये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ, नवी दिल्ली, या विद्यापीठातून तसेच, यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ, नाशिक या विद्यापीठातून पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण अभ्यासक्रमास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये विद्यापीठ अनुदान आयोग मान्यताप्राप्त विद्यापीठे, अभिमत विद्यापीठे, स्वायत्त संस्था व संस्था इत्यादींच्या विविध पदविका, पदवी व पदव्युत्तर पदव्यांना केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन विकास (शिक्षण विभाग) मंत्रालयाकडून, केंद्र शासनाच्या सेवेतील नियुक्तीसाठी वेळोवेळी प्रदान केलेली व भविष्यात प्रदान केली जाणारी समकक्षता राज्य शासनाच्या सेवेतील नियुक्तीसाठी ग्राह्य धरण्यास शासन मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच,

संदर्भ क्र.४ येथील शासन परिपत्रकान्वये मौलाना आजाद उर्दु राष्ट्रीय विद्यापीठ, हैद्राबाद या विद्यापीठातून बी.एड (नियमित)/बी.एड (पत्रद्वारा) उर्दु माध्यम हा अभ्यासक्रम पूर्ण केलेल्या अर्हताप्राप्त शिक्षकांच्या नियुक्ती व पदोन्नतीस मान्यता देण्यात आलेली आहे. या बाबी विचारात घेता, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा या विद्यापीठातील B.Ed. (ODL) या पदवीस राज्यातील नियमित बी.एड पदवीशी समकक्षता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय:-

महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा या संसदेने मंजुरी दिलेल्या “द महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ॲक्ट, १९९६ (१९९७ चा अधिनियम क्र.३)” अन्वये स्थापन झालेल्या विद्यापीठातील B.Ed. (ODL) या पदवीस सन २०१५-१६ पासून राज्यातील नियमित बी.एड पदवीशी समकक्षता प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०४०७१२३३०७४८०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

Hariram V Parhate
(ह. व्यं. पन्हाते)
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन

Digitally signed by Hariram V Parhate
DN: cn=Hariram V Parhate, o=Government of Maharashtra,
ou=Higher And Technical Education Department,
postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=8b4655b3127b9c3855552446cd2934b
62b770486625206559a2c204e56c38,
serialNumber=d01116685edf1abcfcd5834728db
6-cb36d798ad114513864e4d1ba14624,
cn=Hariram V Parhate
Date: 2018.04.07 12:33:11 +05'30

प्रत,

- १) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
- २) शिक्षण संचालक, शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे,
- ३) सर्व सह संचालक, उच्च शिक्षण (संचालक, उच्च शिक्षण यांच्यामार्फत),
- ४) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक (शिक्षण संचालनालय (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत)
- ५) प्राचार्य, सर्व शासकीय व अशासकीय अनुदानित शिक्षणशास्त्र महाविद्यालये (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत),
- ६) कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे (संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत)
- ७) निदेशक, दूर शिक्षा निदेशालय, महात्मा गांधी आंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, ता.जि.वर्धा,
- ८) निवडनस्ती-मशि-२.

पृष्ठ २ पैकी २



APPROVAL PROCESS 2023-24

No Objection Certificate (NOC)

F.No. Western/2023-24/1-43337810106

Date: 10-Jun-2023

To,
The Vice Chancellor/Director,
MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA WARDHA
POST-HINDI VISHWAVIDYALAYA, GANDHI HILLS WARDHA,
WARDHA, WARDHA,
Maharashtra, 442001

Sub: No Objection Certificate for Open and Distance Learning (ODL) / Online Learning (OL) 2023-24 to 2027-28

Madam / Sir,

In terms of the provisions under the All India Council for Technical Education (Grant of Approvals for Technical Education) Regulations, 2020 notified on 4th February 2020 and amended on 24th February 2021 and norms standards, procedures and conditions prescribed by the Council from time to time, I am directed to convey the no objection to :

Permanent Id	1-10422927821	Application Id	1-43337810106
Name of the Institution/University	MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA WARDHA	Name of the Society/Trust	NA
Institution/University Address	POST-HINDI VISHWAVIDYALAYA, GANDHI HILLS WARDHA, WARDHA, Maharashtra, 442001	Society/Trust Address	
Institution/University Type	Central University	Region	Western

For conduct of following Courses in ODL mode for the Academic Year 2023-24 to 2027-28*

Sr. No.	Program	Level	Course (Specialization)	Center	Number of Seats
1	Management	POST GRADUATE	MBA	Center 1	500

Application Number: 1-43337810106

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Page 1 of 2

Letter Printed On: 14 June 2023

The University/Institute shall obtain necessary approval from University Grants Commission (UGC) as per the prescribed schedule and procedure.

The Administration/ Management of the University shall strictly follow further conditions as may be specified by the Council from time to time. The Council may withdraw the No Objection Certificate (NOC), in case it observes any violation of said ODL/OL regulations, mis-representation of facts and submitting factually incorrect information.

Prof. Rajive Kumar
Member Secretary, AICTE

Copy to:

1. **Secretary, University Grants Commission**
2. **Guard File(AICTE)**

** Individual Approval letter copy will not be communicated through Post/Email. However, a consolidated list of Approved Institutions(bulk) may be downloaded from the respective login id's.

Application Number: 1-43337810106

Note: This is a Computer generated Report. No signature is required.

Page 2 of 2

Letter Printed On: 14 June 2023

यह विश्वविद्यालय भारतीय संसद द्वारा पारित महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय वर्तमान शिक्षा व्यवस्था के लिए एक विकल्प प्रदान करता है। विश्वविद्यालय की दृष्टि में वैकल्पिकता सक्रिय रूप से दिखाई पड़ती है। इसके शैक्षणिक ढाँचे में आवश्यकतानुसार लचीलेपन का समावेश लक्षित है। विश्वविद्यालय के अधिनियम की धारा 4 में उल्लिखित विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नांकित हैं –

विश्वविद्यालय का उद्देश्य साधारणतः हिंदी भाषा तथा साहित्य का संवर्धन और विकास करना एवं उस प्रयोजन के लिए विद्या की सुसंगत शाखाओं में शिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएँ प्रदान करना, हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन एवं अनुसंधान के सक्रिय अनुसरण के लिए व्यवस्था करना, देश तथा विदेश में सुसंगत सूचना के विकास और प्रसारण के लिए सुविधाएँ प्रदान करना, हिंदी की कार्यात्मक प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए अनुवाद, निर्वचन व भाषा विज्ञान आदि क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण के कार्यक्रमों/ कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, विदेशों में हिंदी में अभिरुचि रखने वाले हिंदी सेवियों, विद्वानों एवं समूहों तक पहुँचना तथा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण व अनुसंधान के लिए उन्हें सहबद्ध करना और दूर शिक्षा पद्धति के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाना होगा। साथ ही धारा 5 के उपबंध (V) के अंतर्गत विश्वविद्यालय को प्रदत्त शक्तियों में बताया गया है कि **“विदेशों में हिंदी में रुचि रखने वाले हिंदी विद्वानों और समूहों तक पहुँचना और उन्हें शिक्षण और अनुसंधान में जोड़ना और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हिंदी को लोकप्रिय बनाना।”** इस पृष्ठभूमि के आलोक में 15 जून, 2007 को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय का उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति एवं विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष महामहिम डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम द्वारा किया गया।

दूर शिक्षा निदेशालय का उद्देश्य हिंदी भाषा के माध्यम से ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की शिक्षा समाज के प्रत्येक स्तर, विशेष तौर पर हाशिए पर रह रहे शिक्षा से वंचित लोगों तक पहुँचाना है। यह हिंदी भाषा को आधार बनाकर प्रबंधन सूचना प्रौद्योगिकी, अनुवाद आदि अनुशासनों में शिक्षण, मौलिक सोच एवं लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु कटिबद्ध है। निदेशालय स्त्री-अध्ययन, अहिंसा एवं शांति अध्ययन जैसे नवीनतम अनुशासनों को व्यापक समाज तक पहुँचाने का प्रयास करेगा ताकि विश्व शांति एवं समता जैसे मूल्यों को व्यावहारिक तौर पर सिद्ध किया जा सके। हिंदी में मौलिक, वैकल्पिक सोच एवं शोध के लिए प्रतिबद्ध निदेशालय यह प्रयास करेगा कि दूर शिक्षा कार्यक्रम शोध द्वारा हिंदी एवं ज्ञान के अनुशासनों में मौलिक सृजन करे, साथ ही हिंदी भाषा के माध्यम से रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों द्वारा समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके देश में उच्च शिक्षा के लगातार महँगे एवं आम जन की पहुँच से दूर होने के इस दौर में दूर शिक्षा की भूमिका निर्विवाद एवं महत्वपूर्ण है। अतः यह उन सभी व्यक्तियों के लिए भी शिक्षा प्राप्ति का एक बेहतर अवसर प्रदान कर सकेगा, जो किसी कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। इसी राह पर चलते हुए यह निदेशालय अपने ध्येय **‘शिक्षा जन-जन के द्वार’** को चरितार्थ कर रहा है।

दर्शन

दूर शिक्षा निदेशालय शिक्षा की औपचारिक व्यवस्था के लिए विकल्प उपस्थित करने, हिंदी में मौलिक सोच एवं अनुसंधान समाज के हर तबके, विशेष तौर पर असुविधाग्रस्त तथा वंचित तबकों के लिए उच्च शिक्षा तक पहुँच आसान बनाने हेतु ज्ञान के नवीनतम अनुशासनों की हिंदी भाषा के माध्यम से मौलिक प्रस्तुति एवं नवीनतम तकनीकों का प्रयोग करते हुए शिक्षा कार्यक्रमों का हिंदी माध्यम से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेगा।

उद्देश्य

- परंपरागत व्यवस्था से लाभ उठाने से वंचित लोगों के लिए उच्च शिक्षा में बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराना।
- वृहत् हिंदी-भाषी समुदाय के लिए उच्च शिक्षा में अत्याधुनिक तकनीकी एवं विशिष्ट अनुशासनों के अवसरों में वृद्धि करना।
- हिंदी माध्यम से उपाधि प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- नव-स्नातकों को कार्यक्रम की सफलतापूर्ण समाप्ति पर रोजगार के नए एवं बेहतर अवसरों की ओर उन्मुख करने के लिए रोजगारपरक कार्यक्रम उपलब्ध कराना।
- शिक्षा की इस पद्धति द्वारा हिंदी माध्यम से विशेषज्ञता प्राप्त करने को बढ़ावा देना। विश्वविद्यालयों की वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था में बेहतर अंतर्संबद्धता उपलब्ध कराने का सक्षम प्रयास करना।

संपर्क

दूर शिक्षा निदेशालय

महामना पं. मदन मोहन मालवीय भवन

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल, वर्धा (महाराष्ट्र) – 442 001

टोल फ्री क्रमांक : 18002331575/8275221619 वेबसाइट : www.hindivishwa.org/distance

ईमेल आईडी:- ddeadmission@hindivishwa.ac.in/ddetech@hindivishwa.ac.in

अकादमिक कैलेंडर

बी.एड. कार्यक्रम (जुलाई 2025 -27) द्वितीय वर्ष (तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर हेतु)

विवरण	प्रस्तावित माह
तृतीय सत्र में प्रवेश	सितंबर, 2026
संपर्क कक्षाओं (ट्यूटोरियल एवं प्रायोगिक कार्य सहित) का आयोजन	अक्टूबर, 2026-मार्च, 2027
प्रायोगिक कार्य वेबसाइट पर प्रकाशित करना	अक्टूबर, 2026
विद्यालय प्रशिक्षुता कार्यक्रम कार्यशाला	सितंबर (अंतिम सप्ताह) – अक्टूबर (प्रथम सप्ताह), 2026
प्रायोगिक कार्य प्रस्तुतीकरण	नवंबर, 2026 – दिसंबर, 2026
विद्यालय प्रशिक्षुता कार्यक्रम	अक्टूबर, 2026 – मार्च, 2027 (छह माह)
विद्यालय प्रशिक्षुता कार्यक्रम रिपोर्ट दू शिक्षा निदेशालय, क्षेत्रीय केंद्रों एवं शिक्षार्थी सहायता केंद्रों में जमा करना	मार्च, 2027
विद्यालय प्रशिक्षुता कार्यक्रम रिपोर्ट का मूल्यांकन	मार्च, 2027
विद्यालय प्रशिक्षुता कार्यक्रम - प्रायोगिक परीक्षा	मार्च, 2027
प्रायोगिक परीक्षा के परिणाम की घोषणा	अप्रैल, 2027
चतुर्थ सत्र में प्रवेश (शिक्षार्थी वैकल्पिक विषय का चयन करेंगे)	अप्रैल, 2027
संपर्क कक्षाओं (ट्यूटोरियल एवं प्रायोगिक कार्य सहित) का आयोजन	अप्रैल – अगस्त, 2027
प्रदर्शनकारी कला एवं शिक्षा विषय पर कार्यशाला	मई, 2027
सत्रीय एवं प्रायोगिक कार्य वेबसाइट पर प्रकाशित करना	मई, 2027
सत्रीय एवं प्रायोगिक कार्य दू शिक्षा निदेशालय, क्षेत्रीय केंद्रों एवं शिक्षार्थी सहायता केंद्रों में जमा करना	जुलाई, 2027
सत्रीय एवं प्रायोगिक कार्यों का मूल्यांकन	अगस्त, 2027
छह दिवसीय कार्यशाला	सितंबर, 2027
सत्रांत परीक्षा	अक्टूबर, 2027
परीक्षा परिणाम की घोषणा	अक्टूबर – नवंबर, 2027

उपर्युक्त में किसी प्रकार के परिवर्तन/ परिवर्धन/ संशोधन या अद्यतन आदि की जानकारी निदेशालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org/distance पर उपलब्ध होगी। अकादमिक कैलेंडर UGC-DEB की अधिसूचना के आलोक में परिवर्तनीय है।

**अकादमिक कैलेंडर
सामान्य एवं प्रबंधन कार्यक्रम**

विवरण	प्रस्तावित माह
विज्ञापन जारी करना	जुलाई, 2026
प्रवेशित शिक्षार्थियों की नामांकन सूची जारी करना	सितंबर, 2026
प्रवेशित शिक्षार्थियों का उन्मुखीकरण कार्यक्रम	सितंबर, 2026
पाठ्यसामग्री प्रेषण (सॉफ्ट कॉपी)	सितंबर, 2026
प्रथम सेमेस्टर संपर्क कक्षाएँ	सितंबर-अक्टूबर, 2026
सत्रीय कार्यों को वेबसाइट पर प्रकाशित करना	नवंबर, 2026
प्रथम सेमेस्टर सत्रीय कार्य दूर शिक्षा निदेशालय, क्षेत्रीय केंद्रों एवं शिक्षार्थी सहायता केंद्रों में जमा करना	दिसंबर, 2026
सत्रीय कार्यों का मूल्यांकन	जनवरी, 2027
प्रथम सेमेस्टर सत्रांत परीक्षा	फरवरी, 2027
प्रथम सेमेस्टर परीक्षा परिणाम की घोषणा	अप्रैल, 2027
द्वितीय सत्र प्रवेश	मई, 2027
द्वितीय सेमेस्टर संपर्क कक्षाएँ	मई, 2027
सत्रीय कार्यों को वेबसाइट पर प्रकाशित करना	जून, 2027
सत्रीय कार्य दूर शिक्षा निदेशालय, क्षेत्रीय केंद्रों एवं शिक्षार्थी सहायता केंद्रों में जमा करना	जुलाई, 2027
सत्रीय कार्य मूल्यांकन	अगस्त, 2027
द्वितीय सत्रांत परीक्षा	अक्टूबर, 2027
द्वितीय परीक्षा परिणाम की घोषणा	अक्टूबर, 2027

उपर्युक्त में किसी प्रकार के परिवर्तन/ परिवर्धन/ संशोधन या अद्यतन आदि की जानकारी निदेशालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org/distance पर होगी। अकादमिक कैलेंडर UGC-DEB की अधिसूचना के आलोक में परिवर्तनीय है।

कार्यक्रमों का विवरण

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रम यूजीसी के दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो (DEB), नई दिल्ली, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) एवं AICTE से मान्यता प्राप्त हैं।

क्र.	कार्यक्रम	कोड	पात्रता	कार्यक्रम उत्तीर्ण करने की अवधि	
				न्यूनतम	अधिकतम
1	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA)** (ODL031410)	001	स्नातक/समकक्ष (GEN/OBC 45%, SC/ST/PH - 40%)	2 वर्ष	4 वर्ष
2	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में पीजी डिप्लोमा (PGDEM&FP)	008	स्नातक/समकक्ष	1 वर्ष	2 वर्ष
3	पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा (PGDJMC)	009	स्नातक/समकक्ष	1 वर्ष	2 वर्ष
4	कंप्यूटर एप्लिकेशन में पीजी डिप्लोमा (PGDCA)	011	स्नातक/समकक्ष	1 वर्ष	2 वर्ष
5	सृजनात्मक लेखन में पीजी डिप्लोमा (PGDCW)	018	स्नातक/समकक्ष	1 वर्ष	2 वर्ष
6	अनुवाद में पीजी डिप्लोमा (PGDT)	019	स्नातक/समकक्ष	1 वर्ष	2 वर्ष
7	नाटक और रंगमंच में पीजी डिप्लोमा (PGDD&T)	020	स्नातक/समकक्ष	1 वर्ष	2 वर्ष
8	मीडिया लेखन में पीजी डिप्लोमा (PGDMW)	021	स्नातक/समकक्ष	1 वर्ष	2 वर्ष
9	कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा (DCA)	013	10+2/समकक्ष	1 वर्ष	2 वर्ष
10	सामाजिक नेतृत्व एवं प्रशासन में सर्टिफिकेट (CSL&G) *	022	10+2/समकक्ष	6 माह	1 वर्ष
11	चीनी भाषा में सर्टिफिकेट (CCL) *	023	10+2/समकक्ष	6 माह	1 वर्ष
12	फ्रेंच भाषा में सर्टिफिकेट (CFL) *	024	10+2/समकक्ष	6 माह	1 वर्ष
13	जापानी भाषा में सर्टिफिकेट (CJL) *	026	10+2/समकक्ष	6 माह	1 वर्ष
14	स्पेनिश भाषा में सर्टिफिकेट (CSL) *	027	10+2/समकक्ष	6 माह	1 वर्ष
15	गैर सरकारी संस्थाओं के निर्माण एवं प्रबंधन में सर्टिफिकेट (CNGOM) *	028	10+2/समकक्ष	3 माह	6 माह

नोट : ** केवल मुख्यालय से संचालित ** परीक्षाएँ केवल मुख्यालय, वर्धा तथा क्षेत्रीय केंद्र- प्रयागराज एवं कोलकाता में आयोजित होंगी।

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित सभी कार्यक्रमों का माध्यम हिंदी है।

कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर संपर्क/मार्गदर्शी कक्षाओं (Contact/ Counselling Classes) का आयोजन किया जाएगा। इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट : www.hindivishwa.org/distance पर उपलब्ध होगी।

1. मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA)

यह हिंदी माध्यम द्वारा प्रबंधन क्षेत्र में दूर शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित होने वाला एकमात्र और अनोखा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम ने उन शिक्षार्थियों, जिन्हें व्यवसाय प्रशासन में रुचि है, के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के द्वार खोल दिए हैं। इस कार्यक्रम से इसके अध्येताओं में आत्मविश्वास तो उत्पन्न होगा ही, साथ ही वे दक्षता के साथ हर क्षेत्र में आगे भी बढ़ सकेंगे। वर्तमान संदर्भों में बाज़ार की माँग को ध्यान में रखते हुए विविध विशेषज्ञताओं को समाहित करते हुए इस कार्यक्रम का निर्माण किया गया है। यह कार्यक्रम कुल 80 क्रेडिट का है। यह कार्यक्रम तीन विशेषज्ञताओं क्रमशः विपणन (Marketing), वित्त (Finance) एवं मानव संसाधन (Human Resource) से युक्त है।

पाठ्य-विवरण

प्रथम सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	MS – 401	प्रबंधन के मूल आधार	2
2	MS – 402	संगठनात्मक व्यवहार	2
3	MS – 403	प्रबंधकीय लेखांकन	4
4	MS – 404	प्रबंधकीय अर्थशास्त्र	4
5	MS – 405	व्यवसाय के कानूनी पहलू	4
6	MS – 406	प्रबंधन सूचना प्रणाली एवं संगणक के अनुप्रयोग	4

द्वितीय सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	MS – 411	मानव संसाधन प्रबंधन	4
2	MS – 412	वित्तीय प्रबंधन	4
3	MS – 413	विपणन प्रबंधन	4
4	MS – 414	अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रबंधन	4
5	MS – 415	व्यावसायिक वातावरण	4

तृतीय सेमेस्टर (अनिवार्य विषय)

अनिवार्य विषय			
क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS – 420	शोध के मूल आधार	4
2	MS – 421	उद्यमिता के मूल आधार	4
3	MS – 422	व्यावसायिक सम्प्रेषण	4

द्वि- विशेषज्ञता के लिए शिक्षार्थी अपनी रुचि के अनुसार निम्नलिखित किसी एक विशेषज्ञता से 2 विषय/ प्रश्नपत्र एवं दूसरी विशेषज्ञता से 2 विषय/प्रश्नपत्र का चयन करें-			
1) विशेषज्ञता - विपणन			
क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	MS – 423	उपभोक्ता व्यवहार	2
2	MS – 424	बिक्री प्रबंधन	2
3	MS – 425	सेवा विपणन	2
4	MS – 426	खुदरा प्रबंधन	2
2) विशेषज्ञता - वित्त			
क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	MS – 428	वित्तीय सेवाओं के मूल आधार	2
2	MS – 429	वित्तीय संस्थानों का प्रबंधन	2
3	MS – 430	कार्यशील पूँजी का प्रबंधन	2
4	MS – 431	मुद्रा एवं बैंकिंग	2
3) विशेषज्ञता - मानव संसाधन			
क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	MS – 433	प्रशिक्षण और विकास	2
2	MS – 435	औद्योगिक संबंधों का प्रबंधन	2
3	MS – 436	श्रम कानून	2
4	MS - 437	संगठनों में टीम बिल्डिंग	2

चतुर्थ सेमेस्टर

अनिवार्य विषय			
क्र.	कोड	विषय	क्रेडिट
1	MS - 438	अंतिम अनुसंधान परियोजना	8
2	MS - 439	सामरिक प्रबंधन	4

शिक्षार्थी द्वारा तृतीय सेमेस्टर में चयनित द्वि- विशेषज्ञतानुसार निम्नलिखित एक विशेषज्ञता से 2 विषय/प्रश्नपत्र एवं दूसरी विशेषज्ञता से 2 विषय/प्रश्नपत्रों का किये जाएंगे:			
1) विशेषज्ञता - विपणन			
क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	MS - 442	विज्ञापन एवं बिक्री संवर्धन	2
2	MS - 443	आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन	2
3	MS - 444	ब्रांड प्रबंधन	2
4	MS - 445	विपणन शोध	2
2) विशेषज्ञता - वित्त			
क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	MS - 446	विलय और अधिग्रहण	2
2	MS - 447	स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस	2
3	MS - 448	सुरक्षा विश्लेषण और पोर्टफोलियो प्रबंधन	2
4	MS - 449	अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन	2
3) विशेषज्ञता - मानव संसाधन			
क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	MS - 450	संगठनात्मक विकास	2
2	MS - 451	मानव संसाधन विकास	2
3	MS - 452	मुआवज़ा प्रबंधन	2
4	MS - 453	मानव संसाधन नियोजन	2

मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) परियोजना रूपरेखा : परियोजना रूपरेखा को जमा / परिवर्तन / परिवर्धन / संशोधन हेतु अधिकतम दो बार निःशुल्क अनुमति प्रदान की जाएगी / इसके उपरांत ₹ 500 के साथ पुनः जमा किया जा सकेगा। एमबीए परियोजना कार्य का माध्यम हिंदी होगा। परियोजना कार्य अस्वीकृत होने के पश्चात पुनः संशोधित परियोजना कार्य मूल्यंकन हेतु ₹1000/- राशि के साथ प्रस्तुत करना होगा। **पंजीयन की वैधता समाप्त होने के उपरांत प्राप्त होने वाले परियोजना कार्य विचारणीय नहीं हैं।**

2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में पीजी डिप्लोमा (PGDEM&FP)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन का विस्तृत एवं गहन अध्ययन कराना है। इसके अंतर्गत जनसंचार माध्यमों के संबंध में शोध प्रशिक्षण एवं सतत अध्ययन को गति देना, मीडिया के विभिन्न क्षेत्र में विशेष रुचि के अनुसार दक्षता पर विशेष बल दिया जाना शामिल है। इस कार्यक्रम में शिक्षार्थी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस और फिल्म प्रोडक्शन हाउस की विभिन्न संस्थाओं में कार्य करने हेतु आवश्यक कौशल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। यह कार्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDEM & FP - 01	मीडिया : अवधारणा एवं सिद्धांत	6
2	PGDEM & FP - 02	फिल्म परिचय एवं इतिहास	6
3	PGDEM & FP - 03	फिल्म प्रोडक्शन	6
4	PGDEM & FP- 04	फिल्म प्रबंधन	6
5	PGDEM & FP- 05	प्रायोगिक एवं प्रोजेक्ट कार्य	8

3. पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा (PGDJMC)

प्रस्तुत कार्यक्रम का उद्देश्य मीडिया क्षेत्र में कार्यरत लोगों तथा उनके व्यावसायिक विकास से जुड़े ज्ञान व कौशल में वृद्धि कराना है। यह डिप्लोमा जनसंचार एवं पत्रकारिता के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों को सर्वांगीण दृष्टि प्रदान करता है। इस डिप्लोमा के लिए पटकथा लेखक, रिपोर्टर, संपादक, फोटोग्राफर, तकनीकी, सहायक, जनसंपर्क अधिकारी आदि के अनुभव स्वीकार्य होंगे। यह कार्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDJMC- 01	जनसंचार एवं पत्रकारिता : स्वरूप और सिद्धांत	8
2	PGDJMC -02	मीडिया और समाज	8
3	PGDJMC- 03	समाचार संकलन, लेखन एवं संपादन	8
4	PGDJMC -04	जनसंपर्क एवं विज्ञापन	8

4. कंप्यूटर एप्लिकेशन में पीजी डिप्लोमा (PGDCA)

वर्तमान परिदृश्य में कंप्यूटर का विशेष महत्व है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में चाहे वह शिक्षण संस्थान हो या वैज्ञानिक अनुसंधान, बैंक हो या चिकित्सा जगत संबंधी कार्य, रक्षा अनुसंधान कार्य हो या उद्योग एवं व्यापार जगत, संचार माध्यम हो या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, प्रकाशन कार्य हो या मनोरंजन जगत आदि में कंप्यूटर का उपयोग बढ़ता जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में कंप्यूटर का आधारभूत सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान विकसित करना है। यह कार्यक्रम कुल 40 क्रेडिट का है। शिक्षण का माध्यम हिंदी है।

पाठ्य-विवरण

प्रथम सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDCA - 01	कंप्यूटर : आधारभूत परिचय (Fundamentals of Computer)	4
2	PGDCA - 02	ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लिकेशन प्रोग्राम (Operating System and Application Program)	4
3	PGDCA - 03	सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज (C Programming Language)	4
4	PGDCA - 04	C # के साथ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (Object oriented Programming With C #)	4
5	PGDCA - 05	सी प्रोग्रामिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical on C Programming)	2
6	PGDCA - 06	सी शार्प के अंतर्गत एप्लिकेशन प्रोग्राम का व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical on Application Program in C #)	2

द्वितीय सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDCA - 07	डाटा बेस प्रोग्रामिंग (Data Base Programing)	4
2	PGDCA - 08	सी शार्प डॉट नेट के साथ विंडोज एवं वेब प्रोग्रामिंग (Windows & Web Programing with C #. NET)	4
3	PGDCA - 09	इंटरनेट एवं वेबपेज डिजाइनिंग (Internet and Web Page Designing)	4
4	PGDCA - 10	डीटीपी (डेस्क टॉप पब्लिशिंग) (DTP (Desk Top Publishing)	4
5	PGDCA - 11	परियोजना कार्य (Project Work)	4

5. सृजनात्मक लेखन में पीजी डिप्लोमा (PGDCW)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य सृजनात्मक लेखन तथा मीडिया के क्षेत्र में कार्य करने वाले अभ्यर्थियों को विभिन्न विधाओं की सैद्धांतिकी द्वारा उनमें ज्ञान व कौशल की वृद्धि करना है। यह कार्यक्रम साहित्य और मीडिया के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक आयामों की सर्वांगीण दृष्टि प्रदान करता है। यह कार्यक्रम कुल 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

प्रथम सेमेस्टर

क्र.सं.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDCWH - 01	सृजनात्मक लेखन के सिद्धांत	4
2	PGDCWH - 02	सृजनात्मक लेखन (काव्य)	4
3	PGDCWH - 03	प्रायोगिक प्रश्नपत्र	8

द्वितीय सेमेस्टर

क्र.सं.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDCWH - 04	सृजनात्मक लेखन (कथा साहित्य)	4
2	PGDCWH - 05	सृजनात्मक लेखन (अन्य गद्य विधाएँ)	4
3	PGDCWH - 06	प्रायोगिक प्रश्नपत्र	8

6. अनुवाद में पीजी डिप्लोमा (PGDT)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में अनुवाद कौशल निर्माण करना है, जिससे वे हिंदी से अंग्रेजी या अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने में सक्षम हो सके। इस कार्यक्रम का निर्माण सामाजिक-सांस्कृतिक एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में अनुवाद की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद का प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। अतएव शिक्षार्थी से यह आशा की जाती है कि वे दोनों भाषाओं में कार्यसाधक ज्ञान रखते हों। यह कार्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

प्रथम सेमेस्टर

क्र.सं.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDT - 01	अनुवाद सिद्धांत और प्रविधि	4
2	PGDT - 02	अनुवाद का भाषिक और सामाजिक पक्ष	4
3	PGDT - 03	प्रायोगिक प्रश्नपत्र	8

द्वितीय सेमेस्टर

क्र.सं.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDT- 04	व्यावहारिक अनुवाद के विविध स्तर और क्षेत्र	4
2	PGDT - 05	प्रशासनिक अनुवाद	4
3	PGDT - 06	प्रायोगिक प्रश्नपत्र/ परियोजना कार्य	8

7. नाटक और रंगमंच में पीजी डिप्लोमा (PGDD&T)

यह कार्यक्रम शिक्षार्थियों को नाटक और रंगमंच के दोनों पक्षों सैद्धांतिक और व्यावहारिक संरचना को समझने का अवसर प्रदान करता है। नाटक मूलतः रंगमंच की विधा है और वर्तमान दौर में इसके माध्यम से अभिनय के क्षेत्र में व्यावसायिक रूप से अपना स्थान बनाने के लिए भी सहयोग देता है। यह कार्यक्रम नाटक और रंगमंच के भारतीय तथा पश्चिमी सिद्धांतों को जानने तथा उनके व्यावहारिक प्रशिक्षण द्वारा रोजगार की दृष्टि से महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। यह कार्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

प्रथम सेमेस्टर

क्र. सं.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDDT - 01	हिंदी नाटक और रंगमंच : सिद्धांत एवं इतिहास	4
2	PGDDT - 02	पाश्चात्य नाटक और रंगमंच : सिद्धांत एवं इतिहास	4
3	PGDDT - 03	प्रायोगिक प्रश्नपत्र	8

द्वितीय सेमेस्टर

क्र. सं.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDDT - 04	दृश्य-श्रव्य माध्यम	4
2	PGDDT- 05	रंगमंच : नाटक और प्रयोग	4
3	PGDDT - 06	प्रायोगिक प्रश्नपत्र / परियोजना कार्य	8

8. मीडिया लेखन में पीजी डिप्लोमा (PGDMW)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों में प्रिंट मीडिया, प्रसारण मीडिया, वेब, विज्ञापन और जनसंपर्क सामग्री के लिए लेखन की विभिन्न शैलियों के प्रति रुचि उत्पन्न कराना है। इस कार्यक्रम में शिक्षार्थी सीखेंगे कि कैसे मीडिया संबंधी जानकारी इकट्ठा करें, किस प्रकार के समाचार विशिष्ट दर्शकों के लिए लिखें और सटीकता की जांच करें आदि। यह कार्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

प्रथम सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDMW - 01	मीडिया का इतिहास	4
2	PGDMW - 02	मीडिया लेखन के सिद्धांत	4
3	PGDMW - 03	मीडिया और कानून	4
4	PGDMW - 04	प्रिंट मीडिया	4

द्वितीय सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	PGDMW - 05	रेडियो लेखन	4
2	PGDMW – 06	टेलीविजन मीडिया लेखन	4
3	PGDMW – 07	वेब मीडिया लेखन	4
4	PGDMW – 08	परियोजना कार्य	4

9. कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा (DCA)

वर्तमान युग में कंप्यूटर मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। अतः सूचना क्रांति एवं प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में कंप्यूटर का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि शिक्षार्थी इस कार्यक्रम के माध्यम से कंप्यूटर का आधारभूत सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करें। यह कार्यक्रम 32 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

प्रथम सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	DCA – 01	कंप्यूटर : आधारभूत परिचय (Fundamentals of Computer)	4
2	DCA – 02	ऑपरेटिंग सिस्टम एवं एप्लिकेशन प्रोग्राम (Operating System and Application Programme)	4
3	DCA – 03	प्रोग्रामिंग लैंग्वेज (Programming Language)	4
4	DCA – 04	सी प्रोग्रामिंग का व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical on C Programming)	2
5	DCA – 05	एप्लिकेशन प्रोग्राम का व्यावहारिक प्रशिक्षण (Practical on Application Programme)	2

द्वितीय सेमेस्टर

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	DCA – 06	डाटा बेस प्रबंधन प्रणाली (Data Base Management System)	4
2	DCA – 07	विजुअल बेसिक (Visual Basics (VB))	4
3	DCA – 08	इंटरनेट एवं वेबपेज डिजाइनिंग (Internet and Web Page Designing)	4
4	DCA – 09	परियोजना कार्य (Project Work)	4

10. सामाजिक नेतृत्व एवं प्रशासन में सर्टिफिकेट (CSL&G)

यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त शिक्षार्थियों में सामाजिक समस्याओं के प्रति व्यावहारिक समझ, संवेदनशीलता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास होगा। गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ फील्ड वर्क के माध्यम से शिक्षार्थी समुदाय की वास्तविक परिस्थितियों, चुनौतियों तथा आवश्यकताओं का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करेंगे, जिससे उनके ज्ञान, कौशल तथा व्यावहारिक दक्षताओं में वृद्धि होगी। शिक्षार्थी सामाजिक समस्याओं की पहचान करने, उनके कारणों का समालोचनात्मक विश्लेषण करने तथा उनके समाधान के लिए समुदाय-आधारित (Community-Based) दृष्टिकोण विकसित करने में सक्षम होंगे। सामाजिक हस्तक्षेप (Social Intervention) की योजना तैयार करने, उसे प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने तथा उसके परिणामों का मूल्यांकन करने की क्षमता विकसित होगी। अतिरिक्त रूप से, शिक्षार्थी सामाजिक समस्याओं के

समाधान हेतु कार्य करने वाली संस्थाओं की स्थापना, पंजीकरण, संगठनात्मक संरचना, प्रशासनिक प्रक्रियाओं तथा प्रबंधन के मूलभूत सिद्धांतों की समझ प्राप्त करेंगे। वे सामाजिक संस्थाओं के प्रभावी संचालन, संसाधन प्रबंधन, समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा सामाजिक विकास कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक व्यावहारिक एवं प्रबंधकीय कौशल भी अर्जित करेंगे। यह कार्यक्रम 12 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	CLA - 01	सामाजिक नेतृत्व : परिचय	4
2	CLA - 02	सामाजिक समस्या एवं शासन	4
3	CLA - 03	क्षेत्रकार्य एवं परियोजना कार्य	4

11. चीनी भाषा में सर्टिफिकेट (CCL)

यह कार्यक्रम को उच्च अध्ययन के साथ ही रोजगार की संभावनाओं को समाहित कर विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य चीनी भाषा के ज्ञान के साथ ही चीन की संस्कृति एवं सभ्यता आदि से भी परिचय कराना है। यह भाषा कौशल (श्रवण, वाचन, पठन एवं लेखन) को विकसित करने में सक्षम है। यह कार्यक्रम बहुराष्ट्रीय कंपनी, पर्यटन, अनुवाद एवं निर्वचन आदि क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से उपयोगी है। यह कार्यक्रम 16 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	CCL - 01	चीनी भाषा ज्ञान एवं प्रयोग -I	4
2	CCL - 02	चीनी भाषा बोध एवं संस्कृति -I	4
3	CCL - 03	परियोजना कार्य (प्रायोगिक) - सत्रांत पत्र एवं प्रस्तुति - रचनात्मक लेखन अभ्यास - वार्तालाप / अनुवाद (हिंदी-चीनी-हिंदी)	8

12. फ्रेंच भाषा में सर्टिफिकेट (CFL)

यह कार्यक्रम उन शिक्षार्थियों के लिए है, जिन्हें फ्रांसीसी भाषा से कोई पूर्व ज्ञान नहीं है। इसका उद्देश्य फ्रांसीसी भाषा का आधारभूत ज्ञान प्रदान करने के साथ-साथ फ्रांस एवं फ्रांसीसी भाषी देशों के समाज, संस्कृति, सभ्यता आदि से परिचय कराना है। यह कार्यक्रम श्रवण, भाषण, पठन एवं लेखन जैसे भाषा कौशलों का विकास करता है। साथ ही, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों (MNCs), बीपीओ, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों, अनुवाद एवं निर्वचन जैसे क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से उपयोगी है। यह 16 क्रेडिट का कार्यक्रम है जिसकी अवधि एक सेमेस्टर (छह माह) है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय/प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	CFL101	संप्रेषणात्मक फ्रांसीसी	4
2	CFL102	फ्रांसीसी लेखन कौशल	4
3	CFL103	फ्रांस एवं फ्रैंकोफोन देशों का परिचय	4
4	CFL104	परियोजना कार्य एवं मौखिकी	4

13. जापानी भाषा में सर्टिफिकेट (CJL)

इस कार्यक्रम का लक्ष्य जापानी भाषा एवं संस्कृति से सामान्य परिचय एवं जापानी में उच्च अध्ययन के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करना है। यह कार्यक्रम 16 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय / प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	CJL- 01	परिचयात्मक जापानी भाषा ज्ञान एवं संस्कृति I	4
2	CJL- 02	परिचयात्मक जापानी भाषा ज्ञान एवं संस्कृति II	4
3	CJL- 03	परियोजना कार्य (प्रायोगिक)	8

14. स्पेनिश भाषा में सर्टिफिकेट (CSL)

यह कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षार्थी स्पेनिश भाषा के साथ-साथ स्पेनिश भाषी देशों में विशेषकर स्पेन एवं लैटिन अमेरिकी देशों के समाज, संस्कृति, साहित्य, सभ्यता, इतिहास, आर्थिक-राजनीतिक परिदृश्य से भी अवगत हो पायेंगे। शिक्षार्थी स्पेनिश व्याकरण ज्ञान को विकसित कर वार्तालाप एवं लेखन कार्य कर सकेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर की भाषा संबंधी मानक परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की ओर अग्रसर हो सकेंगे। सरल स्पेनिश-हिंदी-स्पेनिश अनुवाद संबंधी कार्य करने की जानकारी पाएँगे। शिक्षार्थी स्पेनिश (विदेशी भाषा) भाषा शिक्षण के साथ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा पर्यटन, कार्पोरेट, मीडिया, अनुवाद एवं निर्वचन आदि में रोजगार पाने की सक्षमता पा सकेंगे। यह कार्यक्रम 16 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय / प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	CSL - 01	स्पेनिश व्याकरण एवं अभिव्यक्ति	4
2	CSL - 02	हिस्पानिक (स्पेन एवं लैटिन अमेरिका) संस्कृति व साहित्य	4
3	CSL - 03	प्रायोगिक	8

15. गैर-सरकारी संस्थाओं के निर्माण एवं प्रबंधन में सर्टिफिकेट (CNGOM)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनजीओ कार्यकर्ताओं को बुनियादी प्रबंधकीय अवधारणाओं से परिचय कराते हुए प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर अंतिम उपयोगकर्ता के कौशल को बढ़ाना और मदद करना है। यह कार्यक्रम 12 क्रेडिट का है।

पाठ्य-विवरण

क्र.	कोड	विषय / प्रश्नपत्र	क्रेडिट
1	गैर-सरकारी संगठन - 101	गैर-सरकारी संगठन प्रबंधन	6
2	गैर-सरकारी संगठन - 102	गैर-सरकारी संगठन: निर्माण एवं वैधानिक प्रक्रिया	6

शुल्क सारिणी

क्र.	कार्यक्रम	शिक्षण शुल्क	प्रवेश	नामांकन	परिचय पत्र शुल्क	परीक्षा शुल्क	उपाधि शुल्क	कुल कार्यक्रम शुल्क (₹ में)
1	MBA	17,000 (प्रथम वर्ष)	200	200	100	2500	-	20,000
		17,000 (द्वितीय वर्ष)	-	-	-	2500	250	19,750
2	PGDEM&FP	5,500	200	200	100	1300	250	7,550
3	PGDJMC	3,000	200	200	100	1000	250	4,750
4	PGDCA	5,000	200	200	100	1000	250	6,750
5	PGDCW	3,250	200	200	100	1000	250	5,000
6	PGDT	3,250	200	200	100	1000	250	5,000
7	PGDD&T	3,250	200	200	100	1000	250	5,000
8	PGDMW	3,250	200	200	100	1000	250	5,000
9	DCA	4,250	200	200	100	1000	250	6,000
10	CSL&G	1,250	200	200	100	1000	250	3,000
11	CCL	1,250	200	200	100	1000	250	3,000
12	CFL	1,250	200	200	100	1000	250	3,000
13	CJL	1,250	200	200	100	1000	250	3,000
14	CSL	1,250	200	200	100	1000	250	3,000
15	(CNGOM)	750	200	200	100	500	250	2,000

शिक्षण शुल्क में छूट : दिव्यांग एवं बीपीएल वर्ग के लिए संबंधित प्रमाण पत्र जमा करने पर शिक्षण शुल्क में क्रमशः 50% तथा 25% छूट का प्रावधान है।

महत्वपूर्ण निर्देश

प्रवेश-प्रक्रिया

प्रवेश आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार्य हैं।

- सामान्य एवं प्रबंधन कार्यक्रम में ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक:- <https://mgahvdde.samarth.edu.in/>
- समस्त शुल्क केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।
- आवश्यक शैक्षिक अर्हता रहित आवेदन नियमानुसार निरस्त कर दिये जाएंगे।

संलग्नकों की सूची

ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की स्वप्रमाणित छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य है :

1. कक्षा 10 वीं की अंकसूची तथा प्रमाणपत्र
2. कक्षा 12 वीं की अंकसूची
3. स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकसूची एवं प्रमाणपत्र / डिग्री / अनंतिम प्रमाणपत्र (स्नातकोत्तर विषयों एवं बी.एड. कार्यक्रम के लिए अनिवार्य)
4. अद्यतन अनुभव/ सेवा प्रमाणपत्र/ शिक्षणाधिकारी द्वारा जारी अद्यतन सेवारत प्रमाणपत्र (बी.एड. के लिए अनिवार्य)
5. स्थायी पता प्रमाणपत्र
6. अद्यतन जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/OBC-NCL/EWS)

7. दिव्यांग प्रमाणपत्र
8. आधार कार्ड

पात्रता एवं प्रवेश

1. प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर ही होगा, जैसा कि शिक्षार्थी मार्गदर्शिका में निर्देशित है।
2. परीक्षा परिणाम हेतु प्रतीक्षारत शिक्षार्थी भी आवेदन कर सकता है। प्रवेश के समय उत्तीर्ण होने से संबंधित अभिलेख जमा करना अनिवार्य है।
3. संबंधित कार्यक्रम में प्रवेश हेतु शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान की **10+2+3/समकक्ष शैक्षिक पद्धति ही स्वीकार्य है।**
4. स्नातक शिक्षार्थी एक साथ दो कार्यक्रम (स्नातक/ स्नातकोत्तर) में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्रांक D.O.No. 1-6/2007(CPP-II) (New), Date 13th April, 2022 का अवलोकन करें।

चयन-सूचना

चयनित शिक्षार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindivishwa.org/distance पर उपलब्ध होगी। शिक्षार्थी दूर शिक्षा के कार्यालय एवं संबंधित शिक्षार्थी सहायता केंद्र से भी वांछित जानकारी प्राप्त कर सकता है।

नामांकन प्रक्रिया

1. प्रत्येक कार्यक्रम में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों द्वारा विश्वविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद ही उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाएगा।
2. परिचय पत्र कार्यक्रम उत्तीर्ण करने की न्यूनतम/अधिकतम अवधि तक वैध होगा।
3. प्रत्येक शिक्षार्थी सहायता केंद्र में पंजीकृत शिक्षार्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

शिक्षार्थी सहायता केंद्र

- ❖ शिक्षार्थी सहायता केंद्र का चयन स्वयं शिक्षार्थी करेगा। किन्हीं कारणों से वांछित केंद्र का निर्धारण संभव नहीं होगा तो शिक्षार्थी के गृह जनपद के समीप/ कोई अन्य शिक्षार्थी सहायता केंद्र, जहाँ शिक्षार्थी द्वारा चयनित कार्यक्रम की सुविधा उपलब्ध हो, विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में वर्धा मुख्यालय में पंजीकृत किया जाएगा।
- ❖ बैचलर ऑफ एजुकेशन (B.Ed.-ODL) कार्यक्रम हेतु उपलब्ध सीटों के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षार्थी सहायता केंद्र आवंटित किया जाएगा। चयनित केंद्र परिवर्तन की माँग सामान्यतः स्वीकार नहीं की जाएगी, किंतु विशेष परिस्थिति में किन्हीं औचित्यपूर्ण कारणों पर विचार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रार्थना-पत्र पूर्व में चयनित/ आवंटित शिक्षार्थी सहायता केंद्र के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

परिचय पत्र

शिक्षार्थी परिचय-पत्र <https://ddemgahv.samarth.edu.in/index.php/site/login> से प्राप्त कर सकेगा।

कार्यक्रम सत्र

दूर शिक्षा निदेशालय सेमेस्टर/वार्षिक प्रणाली (Semester/Annual System) के आधार पर कार्यक्रम संचालित करेगा। हर शिक्षार्थी को प्रदत्त अधिकतम अवधि में ही संबंधित कार्यक्रम को पूर्ण करना होगा।

स्व अध्ययन सामग्री

दूर शिक्षा प्रणाली में अध्ययन की व्यवस्था परंपरागत विश्वविद्यालयों से भिन्न है। इसमें शिक्षा 'स्व अध्ययन पर केंद्रित' है और इसकी सफलता शिक्षार्थी के सक्रिय सहयोग एवं स्वाध्याय पर निर्भर है। दूर शिक्षा प्रणाली में बहुआयामी व्यवस्था के माध्यम से कार्यक्रम की जानकारी शिक्षार्थियों को दी जाती है। इस हेतु शिक्षार्थी को महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट के माध्यम से तथा अन्य संस्थाओं के साथ सम्पन्न एमओयू के आधार पर निर्मित उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण मुद्रित/ई-पाठ्यसामग्री प्रदान की जाएगी। किसी कार्यक्रम की पाठ्यसामग्री उपलब्ध न होने की स्थिति में संदर्भ ग्रंथों की सूची अथवा संबंधित कार्यक्रम का पाठ्यविवरण महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। संबंधित सत्र हेतु उक्त का संदर्भ लेना अनिवार्य होगा। **इस संबंध में विश्वविद्यालय, शिक्षार्थी के किसी आवेदन पर विचार नहीं करेगा।**

संपर्क/मार्गदर्शी कक्षाएँ शिक्षार्थी सहायता केंद्र द्वारा शिक्षार्थी के शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु समय-समय पर संपर्क/मार्गदर्शी कक्षाएँ (Contact / Counselling Classes) आयोजित की जाएँगी तथा इसकी सूचना विश्वविद्यालय की वेबसाइट : www.hindivishwa.org/distance पर जारी की जाएँगी। संपर्क/मार्गदर्शी कक्षाओं का उद्देश्य निम्नानुसार हैं-

- शिक्षार्थियों में दक्षता एवं स्वस्थ प्रतियोगिता के गुण विकसित हों।
- शिक्षार्थी अपनी अकादमिक शंकाओं एवं समस्या का समाधान खोज सकें।
- परियोजना कार्यों तथा सत्रीय कार्यों के बारे में जान सकें एवं शिक्षार्थी सहायता केंद्र में उपलब्ध पुस्तकों का अध्ययन कर सकें।

शिक्षार्थियों से आग्रह है कि वे अपनी क्षमता निर्माण हेतु सभी संपर्क/मार्गदर्शी कक्षाओं में भाग लें। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों/कार्यक्रमों में इस कार्य के लिए निश्चित अवधि निर्धारित की जाती है।

परीक्षा-केंद्र

शिक्षार्थी सहायता केंद्र ही परीक्षा केंद्र हो यह अनिवार्य नहीं है। समस्त कार्यक्रमों की सत्रांत/वार्षिक परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा चयनित केंद्रों पर होंगी। परीक्षा केंद्रों का विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समय-समय पर उपलब्ध कराया जाएगा। विशेष परिस्थिति में परीक्षा केंद्र में परिवर्तन का अधिकार विश्वविद्यालय का है।

परीक्षा-आवेदन

शिक्षार्थियों को <https://ddemgahv.samarth.edu.in/index.php/site/login> लिंक के माध्यम से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरना होगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन न भरने की स्थिति में शिक्षार्थी परीक्षा देने से वंचित रहेगा।

सत्रीय कार्य/प्रायोगिक कार्य/परियोजना कार्य

- 1) प्रत्येक कार्यक्रम में पंजीकृत शिक्षार्थी को संबंधित सत्र/वर्ष के सत्रीय कार्य/परियोजना कार्य/प्रायोगिक कार्य/क्षेत्रीय कार्य जर्नल आदि अनिवार्य रूप से जमा करने के बाद ही सत्रांत/वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा।
- 2) प्रायोगिक कार्य/परियोजना कार्य की व्यवस्था तथा मूल्यांकन दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित केंद्रों पर ही की जाएगी। यदि कोई शिक्षार्थी सत्रांत परीक्षा के पूर्व प्रायोगिक कार्य/परियोजना कार्य पूरा नहीं करता है तो वह सत्रांत परीक्षा के लिए अर्ह नहीं होगा।
- 3) आगामी सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रायोगिक कार्य/परियोजना कार्य हेतु निर्धारित शुल्क ₹ 250/- प्रति प्रश्नपत्र देय होगा।

सत्रांत परीक्षा

प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए 100 अंक निर्धारित हैं। क्षेत्रकार्य/ परियोजना कार्य/प्रायोगिक कार्य संबंधित प्रश्नपत्र के अंक कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार होंगे। सत्रांत मूल्यांकन : प्रत्येक प्रश्नपत्र के लिए 70 अंक निर्धारित हैं। क्षेत्रकार्य/ परियोजना कार्य/प्रायोगिक कार्य संबंधित प्रश्नपत्र के अंक कार्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार होंगे। आंतरिक मूल्यांकन : निर्दिष्ट कार्यों के लिए आंतरिक मूल्यांकन में 30 अंक निर्धारित हैं। सभी निर्दिष्ट कार्य प्रत्येक शिक्षार्थी को समय से जमा करना अनिवार्य है। शिक्षार्थी का अंतिम परीक्षा परिणाम उसके सभी सत्रों के अंकों को जोड़कर प्रकाशित किया जाएगा।

मूल्यांकन एवं परिणाम

दू शिक्षा निदेशालय मूल्यांकन हेतु आंतरिक एवं सत्रांत मूल्यांकन पद्धति को अपनाता है। कुल पूर्णांकों में से 30 प्रतिशत भार आंतरिक मूल्यांकन का तथा शेष 70 प्रतिशत भार सत्रांत मूल्यांकन का होगा। आंतरिक एवं सत्रांत मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अनुत्तीर्ण शिक्षार्थी को अगली सत्रांत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित शुल्क ₹ 300/- प्रति प्रश्नपत्र जमा करना होगा है। सत्रीय कार्य में उत्तीर्ण नहीं होने पर अगले सत्र में सत्रीय कार्य पुनः जमा करने हेतु निर्धारित शुल्क ₹ 250/- प्रति प्रश्नपत्र जमा करना होगा। अधिक जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के निःशुल्क दूभाष क्रमांक 18002331575/ 8275221619 पर संपर्क किया सकता है।

पुनर्गणना

पुनर्गणना का अर्थ उत्तर पुस्तिका में दिये गये अंकों की पुनर्गणना है। इसमें यह भी देखा जाएगा कि उत्तर पुस्तिका का कोई अंश बिना मूल्यांकित छूट तो नहीं गया है। परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर इस हेतु आवेदन करना होगा तथा हर प्रश्न पत्र के लिए ₹200/- का शुल्क आवेदन के साथ जमा करना होगा पुनर्गणना की अवधि सामान्यतः आवेदन करने की अंतिम तिथि से एक माह होगी। अगर पुनर्गणना में कोई परिवर्तन होता है, तो विश्वविद्यालय अधिक अंक को ही मान्यता देगा। नई अंक सूची निःशुल्क शिक्षार्थी को प्रदान की जाएगी।

शिक्षार्थी के नाम / उपनाम में सुधार परिवर्तन

शिक्षार्थी को प्रवेश आवेदन के समय नाम, जो कि उसके हाईस्कूल के प्रमाण पत्र पर अंकित है, ही लिखना है। यदि शिक्षार्थी का नाम/उपनाम उसके हाईस्कूल के प्रमाण पत्र पर अंकित नाम से अलग है, तो उसे आवेदन के साथ निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा -

1. दैनिक समाचार पत्र में नाम परिवर्तन की अधिसूचना की मूल प्रति।
2. नाम के परिवर्तन के संबंध में प्रथम श्रेणी के मेजिस्ट्रेट के सामने ली गई शपथ का मूल शपथ-पत्र।
3. शादी का कार्ड, शादी का प्रमाण पत्र, यदि किसी महिला शिक्षार्थी के उपनाम में परिवर्तन है।
4. नाम / उपनाम में परिवर्तन को प्रदर्शित करती हुई राजपत्र में जारी की गई अधिसूचना की मूल प्रति।

नाम / उपनाम में सुधार तथा परिवर्तन हेतु ₹400/- का शुल्क जमा करना होगा। बैंक विवरण निम्नांकित है-

खाताधारक : वित्ताधिकारी, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

बैंक का नाम : बैंक ऑफ इंडिया

खाता सं. : 972110210000001

IFSC : BKID0009721

सेंटर : वर्धा, महाराष्ट्र

शाखा : हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

पता परिवर्तन

पता परिवर्तन हेतु संबंधित शिक्षार्थी सहायताकेंद्र के माध्यम से ही आवेदन स्वीकार्य होगा। यह सामान्यतया 4-6 हफ्तों में होता है। इसलिए इस अवधि के दौरान शिक्षार्थी अपने पत्रों को नए पते पर प्राप्त करने का प्रबंध स्वयं करें।

डिप्लोमा / डिग्री की प्रतिलिपि

प्रत्येक प्रमाण पत्र एवं अंकसूची की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन आवश्यक दस्तावेज सहित ₹500/- जमा करना होगा।

नियमों में संशोधन

दूर शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों की अकादमिक एवं प्रशासनिक गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्यक्रम के शुल्क विवरण, पाठ्य विवरण में संशोधन परिवर्तन, परिवर्धन, अद्यतन किसी नियम में कुछ शामिल करने अथवा कम करने का सर्वाधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है।

क्षेत्राधिकार

विश्वविद्यालय के दूर शिक्षा निदेशालय के समस्त अकादमिक कार्यक्रमों एवं परीक्षा/ वित्तीय/ प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़े विवादों का क्षेत्राधिकार मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ (महाराष्ट्र) होगा।

सामान्य जानकारी

1. आवेदन-पत्र भरने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट या शिक्षार्थी मार्गदर्शिका में दिये गये दिशा-निर्देशों को **सावधानी पूर्वक** पढ़ें।
2. दूर शिक्षा निदेशालय से संबंधित समस्त सूचनाएँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएँगी। अतः सभी शिक्षार्थी व शिक्षार्थी सहायता केंद्र के संचालक नियमित रूप से विद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशित होने वाली सूचनाओं को भली-भाँति देखें व समझ लें, तदनुसार ही उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
3. आवश्यक दस्तावेज डाउनलोड करने के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट **www.hindivishwa.org/distance** पर लॉग ऑन करें। कोई भी नवीनतम / सामायिक/ आधुनिकतम सूचना/ दस्तावेज डाउनलोड करने से पूर्व संबंधित कड़ी (Link) को एक बार रिफ्रेश (Refresh) अवश्य करें। आवश्यकता पड़ने पर निदेशालय से निःशुल्क दूरभाष 18002331575/ 8275221619 पर **(सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक)** संपर्क किया जा सकता है।
4. कृपया अपनी पाठ्यसामग्री को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसे विशेष तौर पर स्व-अध्ययन के लिए तैयार किया गया है। अपनी टिप्पणियाँ तैयार करें एवं उन खंडों को रेखांकित करें, जिसे आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तत्पश्चात अध्ययन सामग्री में दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें समझने का प्रयास करें।
5. शिक्षार्थी सहायता केंद्र द्वारा समय-समय पर प्रायोगिक/ परामर्श कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे, जो शिक्षार्थियों की समस्याओं/शंकाओं के समाधान हेतु होंगे।
6. सत्रीय कार्य, परियोजना कार्य, क्षेत्र कार्य जर्नल इत्यादि का आंतरिक मूल्यांकन शिक्षार्थी सहायता केंद्रों पर किया जाएगा।
7. परीक्षा तिथियों, परिचय-पत्र, प्रवेश पत्र एवं परीक्षा परिणाम इत्यादि की जानकारी आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

शिक्षार्थी सहायता सेवाएँ

- प्रवेश से संबंधित जानकारी या समस्या के लिए ईमेल ddeadmission@hindivishwa.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
- दूर शिक्षा निदेशालय में पंजीकृत शिक्षार्थियों की परीक्षा से संबंधित जानकारी या समस्या के लिए ईमेल rd.mgahv@gmail.com अथवा दूरभाष क्रमांक : 07152- 255360/ 8275405360 पर संपर्क कर सकते हैं।
- दूर शिक्षा निदेशालय में पंजीकृत शिक्षार्थियों की तकनीकी सहायता से संबंधित जानकारी या समस्या के लिए ddetech@hindivishwa.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
- दूर शिक्षा निदेशालय में पंजीकृत शिक्षार्थियों की सहायता/ सुझाव/ शिकायत एवं जानकारी के लिए शिक्षार्थी सहायता सेवा के ई-मेल ddestudentssupport@hindivishwa.ac.in पर संपर्क कर सकते हैं।
- अद्यतन सूचनाओं के लिए समय-समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट <https://hindivishwa.org/distance/> का अवलोकन करना सुनिश्चित किया जाए।
- अधिक जानकारी हेतु निःशुल्क दूरभाष 18002331575/ 8275221619 पर (सोमवार से शुक्रवार प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक) संपर्क किया जा सकता है।

संपर्क

दूर शिक्षा निदेशालय

महामना पं. मदन मोहन मालवीय भवन

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल, वर्धा (महाराष्ट्र) – 442001

टोल फ्री क्रमांक : 18002331575/8275221619 वेबसाइट : www.hindivishwa.org/distance

ईमेल आईडी:- ddeadmission@hindivishwa.ac.in/ ddetech@hindivishwa.ac.in

क्षेत्रीय केंद्र, प्रयागराज

क्षेत्रीय केंद्र,

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
प्लॉट क्रमांक- 06/आई- 3, झूँसी योजना संख्या 03,
झूँसी, प्रयागराज (उत्तर प्रदेश) 211 019

संपर्क : 0532- 2424442,

ई-मेल : mgahvrcpryj@hindivishwa.ac.in

क्षेत्रीय केंद्र, कोलकाता

क्षेत्रीय केंद्र

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,
ऐकतान, ईजेडसीसी, आईए- 290, सेक्टर- 3,
साल्ट लेक, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700 097

संपर्क : 033- 46039985,

ई-मेल : mgahvkolkata@hindivishwa.ac.in

**दूर शिक्षानिदेशालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों के अध्ययन, मार्गदर्शन से संबंधित जानकारी हेतु संयोजकों
तथा परामर्शदाताओं की सूची**

क्र.	कार्यक्रम	संयोजक एवं मो. नंबर	परामर्शदाता एवं मो. नंबर
1	मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA)	डॉ. रविंद्र टी. बोरकर - 9021966566	-
2	इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रबंधन एवं फिल्म प्रोडक्शन में पीजी डिप्लोमा (PGDEM&FP)	डॉ. यशार्थ मंजुल - 9621560373	-
3	पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा (PGDJMC)	डॉ. अमित राय - 9422905719	-
4	कंप्यूटर एप्लिकेशन में पीजी डिप्लोमा (PGDCA)	डॉ. हर्षलता पेटकर - 9421820442	-
5	सृजनात्मक लेखन में पीजी डिप्लोमा (PGDCW)	डॉ. ओम प्रकाश भारती, 8080042472	-
6	अनुवाद में पीजी डिप्लोमा (PGDT)	डॉ. शैलेश मरजी कदम-	डॉ. मीरा निचळे - 9604457296
7	नाटक और रंगमंच में पीजी डिप्लोमा (PGDD&T)	डॉ. प्रियंका मिश्र - 9625327115	-
8	मीडिया लेखन में पीजी डिप्लोमा (PGDMW)	डॉ. गीता साहू - 9460678903	-
9	कंप्यूटर एप्लिकेशन में डिप्लोमा (DCA)	डॉ. हरिश पाण्डेय - 9178817014	-
10	सामाजिक नेतृत्व एवं प्रशासन में सर्टिफिकेट (CSL&G) **	डॉ. के. बालराजु - 9493757456	-
11	चीनी भाषा में सर्टिफिकेट (CCL) **	डॉ. अनिर्बाण घोष - 9422905742	-
12	फ्रेंच भाषा में सर्टिफिकेट (CFL) **	डॉ. संदीप कुमार - 9889831615	-
13	जापानी भाषा में सर्टिफिकेट (CJL) **	डॉ. सन्मति जैन - 9420401267	-
14	स्पेनिश भाषा में सर्टिफिकेट (CSL) **	डॉ. रवि कुमार - 9921678464	-
15	गैर सरकारी संस्थाओं के निर्माण एवं प्रबंधन में सर्टिफिकेट (CNGOM) **	डॉ. शिव सिंह बघेल - 8999934212	-

नोट : ** मुख्यालय से संचालित



ज्ञान शान्ति मैत्री

दूर शिक्षा निदेशालय

महामना पं. मदनमोहन मालवीय भवन

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा

पोस्ट : हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल, वर्धा (महाराष्ट्र) 442 001

टोल फ्री नं. 18002331575 / 8275221619

E-mail : ddestudentssupport@hindivishwa.ac.in

Website : www.hindivishwa.org/distance

